



क्रमांक/रा.प्रौ.सं.रा.रा./स्वा.अराज./2020/497 रायपुर, दिनांक 03/09/2020

अंतिम स्वरूप

कार्यालयीन सूचना पत्र क्रमांक/रा.प्रौ.सं.रा.रा./स्वा.अराज./2020/3112 रायपुर, दिनांक 17.03.2020 एवं सूचना पत्र क्रमांक/रा.प्रौ.सं.रा.रा./स्वा.अराज./2020/75 रायपुर, दिनांक 02.06.2020 के परिप्रेक्ष्य में संस्थान के नियमित कर्मचारी शैक्षणिक सत्र 2019-2020 के लिए शिक्षा प्रशिक्षण मत्ता हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं वे दिनांक 30.09.2020 तक एमआईएस के माध्यम से प्रस्तुत कर हस्ताक्षरित मूल प्रति कार्यालय में जमा करें।

यह भी ध्यान दिलाया जाता है कि दिनांक 30.09.2020 के बाद शिक्षा प्रशिक्षण मत्ता हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर किसी भी प्रकार से विचार नहीं किया जायेगा।

Final Reminder Circular

In continuation to the Circular NO./NITRR./Estt.NGaz./2020/3112 dated 17-03-2020 and Reminder Circular no./NITRR./Estt.NGaz./2020/75 dated 02-06-2020, all the regular employees of the Institute who have not yet submitted their application for Children Education Allowance for the Academic Year 2019&20 through MIS followed by submission of duly signed hard copy, are again requested to submit the same latest by 30-09-2020

Further, it may be noted that the application submitted after 30-09-2020 will not be considered for payment of Children Education Allowance.

कुलसचिव (प्र.)
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
रायपुर (छ.रा.)

- प्रतिलिपि:—
1. निदेशक रा.प्रौ.सं.रायपुर
 2. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/शाखा प्रभारी, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर (छ.रा.) को सूचना एवं अधिनस्थ कर्मचारियों को सूचित किसे जानें हेतु।
 3. समस्त गोपिचंद बोर्ड
 4. एमआईएस.शाखा सूचना प्रसारण एवं कार्यवाही हेतु।